



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 19.04.2018


सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Devji Mansingram Patel**, के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **303** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थी को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	कुनाल सिंह पवार	अचल सिंह पवार माँझ गाँव माउंट जिला - सिरौही मोबाइल-9414208862	IX	माउंट आबू
2	हर्षित चौधरी	अरुण चौधरी शिवाजी नगर जालौर मोबाइल -8107770161	VI	जालौर
3	धुरुवांशु व्यास	विजय व्यास सुरज पोल के अंदर जालौर मोबाइल - 9414375271	I	जालौर
4	आयुश चौधरी	कपिल चौधरी नया वेरा भैंसवारा आहोर मोबाइल - 9461063792	II	जालौर
5	वैभव भट्ट	महेश भट्ट शांती नगर रामदेव कॉलोनी जालौर मोबाइल - 9461114510	III	जालौर
6	कुश अग्रवाल	संदीप अग्रवाल ए-2 फतेह रायल रेलवे रोड जालौर मोबाइल - 957182001	III	जालौर
7	नमन गुप्ता	मनीष गुप्ता आदर्श नगर जालौर	I	जालौर
8	कार्तिक सांखला	भवर लाल एस सी आई गोदाम के पास जालौर	III	जालौर
9	आलेख	जितेन्द्र कुमार तहसील करमातास कॉलोनी आहोर मोबाइल - 9772121663	IV	जालौर
10	खुशीराज कंवर	श्री भगवत सिंह कस्तूरबा कॉलोनी जालौर मोबाइल - 9460716011	III	जालौर

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **15.05.2018** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) (7/1/18)

प्रतिलिपि:

1. Shri Devji Mansingram Patel, माननीय संसद सदस्य 8, Mahadev Road, New Delhi-110001:-
सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, जयपुर संभाग को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।